JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlp.in

Ref. No. : BRLPS/Proj-OF0813/15/946/A **Date : 6/7/15**

Office Order

Jeevika is implementing backyard poultry intervention in 21 districts of Bihar. Major objective of this intervention is to generate supplementary income and employment at the doorsteps of rural poor. As per the policy, it is important to vaccinate all poultry birds at household level against fowl pox and Ranikhet as detailed on page no 27 of Backyard Poultry policy 2013. Presently we were not able to provide fowl pox and Ranikhet vaccine due to lack of information and training to PRP. But recent incident of fowl pox in some districts like Nawada and Saupaul shows the need of providing this vaccine at household level. In these two districts, heavy financial losses have been suffered by project and community due to the spread of these diseases.

Therefore BRLPS has decided to run a vaccination drive for fowl pox and Ranikhet. Process guidelines for this vaccination are attached with this order. It will be the responsibility of concerned DPM and Manager off Farm/ in-charge to ensure the vaccination of live birds at household level as per the guidelines and clause 5 (iv) of letter No. 6 SS (6) 29/2013/2242 dated 18.09.2013 of Department of Animal and Fish Resources (GoB). If vaccination is not carried out in any district and mortality of chicks happens due to fowl pox or Ranikhet, then concerned DPM and Manager off farm/YP will be fully responsible for that.

6/7/15

(Dr. N. Vijaya Lakshmi)
Chief Executive Officer

Copy to :

1. Director/OSD/AO/FO/SFMs
2. All PCs/SPMs/PMs/PS
3. All DPMs/Manager Finance/Manager Off Farm/Incharge
4. IT Section
5. Concerned file.

Guideline of Poultry Vaccination at Household Level

Background

Jeevika is implementing backyard poultry intervention in 21 districts of Bihar with an objective of generating supplementary income and employment at the door steps of rural poor. Currently 139 mother units are operating in 21 districts of Bihar. For the success of this intervention and ensuring fair economic benefits to our community, it is very important to control the mortality rates of live birds. In the past, there were many instances when project and community suffered huge economic losses due to high mortality of birds. One of a major cause of high and sudden mortality is the spread of diseases among live birds. Therefore control and prevention of deadly diseases among live birds is an important part of backyard poultry intervention.

Best way to deal with the menace of disease spread among live birds is to take prevention measure as there is very little which can be done after the spread of disease. Vaccination against major deadly disease is very critical part of the prevention measures needs to be taken. Therefore Jeevika has put special emphasis on the vaccination of live birds against major deadly disease, Currently live birds are given vaccination for the protection against four 3 disease. These three diseases are Markek's, Ranikhet and Gumboro. Out of these three, Makek's vaccination is given by the suppliers before the delivery of birds and other two vaccinations are provided at mother unit level.

Present Scenario Challenge of Fowl Pox

Currently our backyard poultry intervention is facing a major challenge from the disease called fowl pox. Two districts of Nawada and Saupaul have already suffered huge losses due to high mortality of birds because of spread of this deadly disease. Pox is a relatively slow spreading viral infection of chickens characterized by scab-like lesions on the skin of the unfettered body parts and/or diphtheritic (wet) membranes lining the mouth or air passages. Infection with the fowl pox virus will cause the chickens to have poor growth, poor feed conversion and a precipitous fall in egg production. Control and prevention in chickens is accomplished by vaccination by the wing web method with a commercially available fowl pox vaccine.

Strategy to deal with fowl pox menace

Considering the loss suffered by community because of this disease, steps need to be taken by the project to control the damage caused by this disease. A decision has been taken by project to provide vaccination to all the birds at household level to control the spread of disease. Vaccination of birds at household level will ensure the protection against the spread of this deadly disease. This vaccination will be done in drive mode starting with Bhojpur district. Following procedure will be adopted while ensuring vaccination against fowl pox. Training regarding vaccination has been already provided in concerned district by Dr. Indira Nayak, Farm Manager, CPDO, Bhubaneswar.

- **Demand Assessment:** - Demand for vaccine will be generated at DPC level aggregating all the blocks demand. This demand will be generated according to the number of birds at household level. Format for demand collection has been attached with these guidelines.
- **Procurement:** - After the demand assessment, procurement of the vaccine will be done by concerned district. Mother unit can use fund amount under miscellaneous head for the purpose of procurement. It is very critical to maintain the cold chain for the preservation of vaccine.
- **Team formation for vaccination drive:** - All the Livelihood specialist of concerned district will be posted in one particular block, where vaccination process will be undertaken. Teams will be formed according to number of livelihood specialist comprising 2 PRP and Livelihood Specialist. Livelihood specialist will be the head of the team. Each team will be responsible for vaccinating birds at household level in a particular area. Same procedure will be adopted for other block during next day.
- **Monitoring and Reporting**: - Monitoring and reporting of vaccination drive will the responsibility of BPIU and DPCU. Proper report for of the drive should be sent to SPMU. Format attached in annexure 2 will be used for the monitoring and reporting. It has to be filled with due care.

Along with fowl pox, vaccine for Ranikhet also has to be provided at household level. In the policy on backyard poultry, there has been mention of giving 2 vaccines for ranikeht, but as per current trend, we are only able to give 1 ranikhet vaccine at mother unit level. Same procedures have to be adopted for giving Ranikhet vaccine.

Important Points to be taken care

- Vaccination should be done in two shifts ideally from 6AM to 9AM and from 4PM to 6PM.
- One day before the vaccination, a one day orientation to PRP has to be given in the respective BPIU.
- Fund under miscellaneous head (Rs 110,000) at MU should be used for the procurement of vaccine and required equipments after making rate comparison chart.
- Cold chain for the preservation of vaccine should be maintained at all cost.
- Livelihood Specialist will be responsible for ensuring the compliance to technical specification while birds being vaccinated.
- Vehicle arrangement at particular block of drive is must for ensuring better logistic support for vaccination drive.
- PRP should be paid an incentive of Rs 2 for vaccination process per household.
- Before carrying vaccination drive, one day orientation of all PRP in a block should be a day before at block level.
- Route chart for vaccination should be decided one day advance in the orientation itself.
- All the PRP should be given ID card as per format attached in annexure 3

Annexure 1

Equipments required for vaccination

Sr. No	Particular
1.	Gloves
2.	Cotton
3.	Methylated spirit
4.	Needle Syringe
5.	Vaccinator gun

Annexure 2

टीकाकरण पंजी का संधारण हेतु प्रारूप

जिला :–   प्रखण्ड :–

दिनांक :–   पंचायत का नाम :–

टीकौषधि का विवरण :– बैच संख्या

मैन्युफैक्चरिंग डेट

एक्सपायरी डेट

क्रम सं0	ग्राम का नाम	मुर्गीपालक का नाम	टीकाकरण किये गया मुर्गियो की संख्या	मुर्गीपालक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

Annexure 3

पिआरपी पहचान पत्र

Photo

परिचय पत्रा

जिला का नाम :– ....

प्रखण्ड का नाम :–...

पिआरपी का नाम :–.......................................

पिता/**पति** का नाम :–...

पता :–..

....

BPM का हस्ताक्षर

पत्र सं0—6एस0एस0(6)29/2013 2242/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

देवेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना—15, दिनांक— 18/9/ /2013

XX

अनौपचारिक रूप से **XX**

परामर्शित द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2013—14 से 2016—17 यानि चार वर्षो के लिए राज्य में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 61313.00 लाख (₹ छः अरब तेरह करोड़ तेरह लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृति तथा प्रतिवर्ष व्यय को उस वर्ष के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन सीमित रखने तथा वर्त्तमान वित्तीय** वर्ष 2013—14 में कुल ₹ 8430.18 लाख (₹ चौरासी करोड़ तीस लाख अठारह हजार) मात्र की योजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा सहायक अनुदान मद की राशि से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों **को अनुदानित दर पर low-input variety coloured chicks उपलब्ध कराने तथा मदर यूनिट की स्थापना हेतु जीविका के स्वयं सहायता समूहों को अनुदान उपलब्ध कराने की** योजना जीविका के माध्यम से क्रियान्वित करने की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत राज्यादेश सं0—6एस0एस0(6)34/2012—818 दिनांक—21.03.2013 एवं 6एस0एस0(6)34/2012—1023 दिनांक—30.04.2013 को अवक्रमित करते हुए अधिकाधिक परिवारों को आच्छादान के उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु कृषि रोड मैप 2012—17 के लिए अनुशंसित विभिन्न योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना राज्य में मुर्गी विकास योजना को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2013—14 से 2016—17 यानि चार वर्षो के लिए **कुल ₹ 61313.00 लाख (₹ छः अरब तेरह करोड़ तेरह लाख) मात्र** की लागत पर स्वीकृति तथा प्रतिवर्ष व्यय को उस वर्ष के लिए उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन सीमित रखने तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013—14 में **कुल ₹ 8430.18 लाख (₹ चौरासी करोड़ तीस लाख अठारह हजार) मात्र** की योजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा सहायक अनुदान मद की राशि से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अनुदानित दर पर low-input variety coloured chicks उपलब्ध कराने तथा मदर युनिट की स्थापना हेतु जीविका की स्वयं सहायता समूह को अनुदान उपलब्ध कराने की योजना

जीविका के माध्यम से क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–"क", "ख", "ग", "घ" एवं "ङ" संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुमोदित कृषि रोड मैप (2012–17) में मुर्गी विकास एवं मुर्गी उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राज्य में मुर्गी एवं अंडा के उत्पादन में वृद्धि की अपार संभावना है क्योंकि अभी भी बिहार बाहर से आयातित अंडा और मुर्गी पर निर्भर करता है। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने से न केवल राज्य मुर्गी के मांस एवं अंडा उत्पादन में आत्म निर्भर हो सकेगा, बल्कि राज्य के बाहर जाने वाले राशि की भी बचत होगी और मुर्गी पालकों की आर्थिक क्षमता में भी विकास होगा। कृषि रोड मैप (2012–17) के अन्तर्गत राज्य में कुल 27.25 लाख परिवार/लाभार्थी के बीच अनुदानित दर पर चूजों का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना के तहत लो–इनपुट टेक्नोलॉजी से विकसित low-input variety coloured मुर्गियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही जीविका के स्वयं सहायता समूहों के स्तर पर मदर यूनिट की स्थापना हेतु अनुदान देकर राज्य में मदर युनिट की संख्या में वृद्धि करना है।

3) समेकित मुर्गी विकास की योजना के तहत चार प्रकार की योजनाएं समेकित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है :–

(I) राज्य योजनान्तर्गत मुर्गीपालन प्रक्षेत्र अन्तर्गत मुर्गी उत्पादन एवं वितरण की योजना।

(II) राज्य योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेष सहायता की योजना के अन्तर्गत बैकयार्ड मुर्गीपालन की योजना।

(III) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मुर्गी विकास की योजना।

(IV) शत् प्रतिशत् केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास की योजना।

4) उपरोक्त कंडिका–3 के क्रमांक (I) एवं (III) की योजना – राज्य योजनान्तर्गत मुर्गीपालन प्रक्षेत्र अन्तर्गत मुर्गी उत्पादन एवं वितरण की योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मुर्गी विकास की योजना के तहत उपलब्ध राशि का व्यय विभिन्न कुक्कुट प्रक्षेत्रों के कार्यकलाप हेतु प्रस्तावित है। विभिन्न कुक्कुट प्रक्षेत्रों द्वारा उत्पादित चूजों को पालकर पोषक क्षेत्र में रहने वाले गरीब बी0पी0एल0 परिवारों को अनुदानित दर पर वितरित किया जाता है। यह एक On-going scheme है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजना अन्तर्गत ₹ 2.56 करोड़ तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ₹ 1.00 करोड़ का व्यय राज्य में स्थापित विभिन्न कुक्कुट प्रक्षेत्र द्वारा किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों द्वारा उत्पादित चूजों का वितरण जीविका के लाभुक सदस्यों के बीच किया जायेगा।

5) उपरोक्त कंडिका–3 के क्रमांक (I), (II) एवं (IV) की योजना का कार्यान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से कराया जाना है। इस योजना के मुख्य दो अवयव हैं यथा– जीविका के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के बीच अनुदानित दर पर चूजों का वितरण एवं जीविका के स्वयं सहायता समूहों को मदर यूनिट स्थापित करने हेतु अनुदान। इसके निमित्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में बजट उपबंध के तहत सहायक अनुदान मद में ₹ 79.8218 करोड़ एवं प्रशिक्षण मद में ₹ 1.00 लाख व्यय हेतु निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जीविका को दी जायेगी। इसके अलावे विज्ञापन एवं प्रकाशन मद में ₹ 50.00 लाख का उपयोग निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा विभागीय स्तर पर योजना के सफल कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रचार–प्रसार पर किया जायेगा।

(क)– इस समेकित मुर्गी विकास योजना के कार्यान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) इस योजना के अन्तर्गत जीविका के स्वयं सहायता समूहों के इच्छुक सदस्यों का चयन कर तीन से छः चरणों में 28 Day old low-input variety coloured chicks अनुदानित दर पर वितरित किया जाना है।

(ii) लाभुक का चयन जीविका के Cluster level federation/Village Organisation द्वारा किया जायेगा। समूह सदस्यों का लाभूक के चयन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके पास मुर्गियों के रख–रखाव हेतु backyard में पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। तथा यह कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई मुर्गियों से अंडा उत्पादन सुनिश्चित किया जाये।

(iii) लाभुकों को दिये जाने वाले 45 से 150 चूजों को सुरक्षित रखने हेतु cage (Night Shelter) का निर्माण किया जायेगा। प्रति cage हेतु अनुमानित व्यय लगभग 2000 रुपये है। इसके निमित प्रत्येक लाभुक को 1000 रुपये का अनुदान प्रस्तावित है। cage का मॉडल डिजायन एवं निर्माण जीविका के मार्गदर्शन में Village Organisation द्वारा कराया जायेगा।

(iv) लाभुकों को उनके इच्छानुसार तीन से छः चरणों में न्यूनतम 45 से अधिकतम 150 लो–इनपुट प्रजाति के 28 Day old coloured chicks वितरित किया जायेगा। प्रत्येक चूजा के लिये रूपये 10/– लिया जायेगा। उक्त राशि का उपयोग जीविका द्वारा कार्यक्रम के अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण तथा R2B टीकाकरण पर व्यय किया जायेगा।

(v) 1 Day old low-input variety coloured chicks का क्रय जीविका के Cluster level federation/Village Organisation द्वारा प्रतिष्ठित संस्थाओं से जिनके पास भारत सरकार द्वारा low-input नस्ल के सूचीवद्ध पोल्ट्री ब्रीड पैरेन्ट स्टॉक से एक दिवसयी चूजों का उत्पादन करते हो तथा संस्थान को विगत 10 वर्षों का low-input नस्ल के चूजा उत्पादन का अनुभव हो से किया जायेगा। इस संबंध में विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मुर्गी ग्राम योजना में निर्धारित तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप चूजों का क्रय किया जायेगा।

(vi) 1 Day old low-input variety coloured chicks का चार सप्ताह तक रियरिंग मदर यूनिट में किया जायेगा। मदर यूनिट की स्थापना चयनित स्वयं सहायता समूहों/Village Organisation के स्तर पर किया जायेगा। प्रत्येक मदर यूनिट के स्तर से प्रत्येक लौट में 1500 से 5000 चूजों का रियरिंग चार सप्ताह के लिये किया जायेगा।

(vii) जीविका द्वारा लाभार्थियों के चयन तथा उनके द्वारा इच्छानुसार प्राप्त किये जाने वाले चूजों की संख्या के आधार पर मदर यूनिट हेतु स्थल का निर्धारण किया जायेगा ताकि मदर यूनिट के पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित संख्या में चयनित लाभार्थी उपलब्ध रहें।

(viii) वर्त्तमान दर पर प्रति मदर युनिट की स्थापना/निर्माण की कीमत लगभग ₹ 6.00 लाख (छः लाख) खर्च आकलित है। एक मदर युनिट को 1500 से 5000 (पाँच हजार) चूजा प्रति लौट चार सप्ताह तक पालने के लिए लगभग 1से 3 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल पोल्ट्री शेड की आवश्यकता होगी। एक मदर युनिट में 13500 से प्रतिवर्ष 45 हजार चूजा तैयार किया जाएगा। इन मदर युनिट की स्थापना पर ₹ 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है, जबकि भारत सरकार से अभी ₹ 20,000/– (बीस हजार) का अनुदान राज्य के छः जिलों

के लिए इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हो रहे है। शेष ₹ 1.00 लाख (एक लाख) राज्य योजना से अनुदान इन छः जिलों में तथा शेष 32 जिलों में ₹ 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) की दर से जीविका द्वारा मदर युनिट की स्थापना पर अनुदान जीविका के स्वयं सहायता समूहों के इच्छुक सदस्यों को दिया जायेगा।

(ix) चूजों को रानी खेत बीमारी से बचाव हेतु R2B टीकाकरण के लिए प्रतिवर्ष ₹ 10.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। यह टीकाकरण लाभान्वित के दरवाजे पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(x) योजना के कार्यान्वयन वाले जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे जीविका के जिला कार्यालय / Cluster level federation/Village Organisation के स्थानीय पदाधिकारी से नियमित समन्वय कर योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी समय–समय पर पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर अनुश्रवण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जीविका के स्तर से सभी जिला पशुपालन पदाधिकारीयों तथा अन्य पशु चिकित्सकों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

(xi) योजना के प्रचार–प्रसार अनुश्रवण एवं प्रबंधन हेतु ₹ 20.00 लाख से ₹ 30.00 लाख प्रतिवर्ष व्यय होने का अनुमान है। जीविका द्वारा योजना के कार्यान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा जिसका मासिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख)– भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "Rural Backyard Poultry Development" योजना राज्य में चलाई जाती है जिसमें बी0पी0एल0 सदस्यों को 45 मुर्गी प्रति इकाई के आधार पर प्रति मुर्गी की कीमत ₹ 30/– की दर से मानते हुए शत् प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। हालाँकि आज चूजों एवं मुर्गी दाना की कीमत में वृद्धि हुई है और आज प्रति चूजा चार सप्ताह तक पालने में लगभग ₹ 50/– से 60/– का खर्च आता है। भारत सरकार द्वारा इस योजना लागत में कोई वृद्धि वर्त्तमान में नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार से जो राशि इस योजना के लिए जिस हद तक प्राप्त होती है उसको उस हद तक उपयोग किया जाएगा और अतिरिक्त राशि राज्य योजना से भारित की जाएगी।

(ग)– लाभुकों के चयन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों का चयन उनके लिये विशेष अंगीभूत योजना के अधीन निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जाये। वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 1715.34 लाख व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताकि इस राशि से राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। व्यय विवरणी (ख) संलग्न है।

6) उपरोक्त सिद्धांतों के क्रम में पशुपालन प्रक्षेत्र एवं जीविका द्वारा कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

7) चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित मुख्यशीर्ष के तहत किया जायेगा :–

(i) मुख्य शीर्ष–2403–पशुपालन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103 कुक्कुट विकास मांग सं0–02–उपशीर्ष–0106–मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्र कोड पी 2403001030106, राज्य योजना स्कीम कोड ANI 5276

(ii) मुख्य शीर्ष–2403–पशुपालन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना मांग सं0–02–उपशीर्ष–0102–बैकयार्ड मुर्गीपालन योजना, विपत्र कोड पी 2403007890102, राज्य योजना स्कीम कोड ANI 5566

(iii) मुख्य शीर्ष–2403–पशुपालन– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–कुक्कुट विकास– मांग सं0–02 उपशीर्ष–0610–ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट, विपत्र कोड सी 2403001030610

(iv) मुख्य शीर्ष–2403–पशुपालन– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–कुक्कुट विकास मांग सं0–02 उपशीर्ष–0109–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना विपत्र कोड– पी 2403001030109 राज्य योजना स्कीम कोड ANI 5031

8) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/ सहायक निदेशक, (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर/ मुजफ्फरपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, किशनगंज एवं पूर्णियाँ/ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी होगे। साथ ही निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होगे।

9) चूंकि योजना का कार्यान्वयन एवं क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा किया जाना है। इसलिए निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के तहत 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, 2003 प्रशिक्षण, 2601 विज्ञापन प्रकाशन, 1301 कार्यालय व्यय मद में स्वीकृत राशि वित्त विभाग के पत्र सं0–8244 दिनांक–02.08.2010 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में जीविका से प्राप्त अधियाचना के आधार पर एक मुश्त राशि की निकासी कर योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10) इस योजना सतत प्रबोधन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा लाभूक एवं लाभूक का परिसम्पतियों सहित ग्रुप फोटोग्राफी जीविका द्वारा कर विभाग/ पशुपालन निदेशालय/ जिला पशुपालन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11) इस योजना के तहत 1302 वाहन के ईंधन एवं रख–रखाव मद् में स्वीकृत राशि संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/ कुक्कुट प्रक्षेत्रों यथा पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर को दिया जायेगा। ताकि जिला पशुपालन पदाधिकारी जीविका द्वारा किये जा रहे कार्यो का पर्यवेक्षण कर सके एवं प्रक्षेत्र द्वारा low-input लो–इनपुट चूजों के वितरण हेतु वाहन में ईंधन के रूप में उपयोग कर सके।

12) निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा कि समेकित मुर्गी विकास योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कारगर एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था विकसित करेंगे। ताकि कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके।

13) दिनांक–19.08.2013 को संपन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है। कार्यवाही संचिका सं0–6एस0एस0(6)29/2013 के पृ0–38–35/प0।

14) दिनांक–27.08.2013 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद् संख्या–11 के रूप में शामिल करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। संचिका सं0–6एस0एस0(6)29/2013 के पृ0–10/टि0।

15) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं0–6एस0एस0(6)29/2013 के पृ0–13–14/टि0 तथा डायरी सं0–शून्य /दिनांक–16.09.13

16) वित्त विभाग के पत्र सं0–7355वि0सी0 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(देवेन्द्र प्रसाद) 18/9/13

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)29/2013 2242 /पटना–15, दिनांक– 18/9/ /2013

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना/ बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/13

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)29/2013 2242 /पटना–15, दिनांक– 18/9/ /2013

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव। 18/9/13

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)29/2013 2242 /पटना–15, दिनांक– 18/9/ /2013

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागर, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना / जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव। 18/9/13

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)29/2013 2242 /पटना–15, दिनांक– 18/9/ /2013

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) बिहार, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार / महाप्रबधक केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/ सहायक निदेशक, (कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर, मुजफ्फरपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव। 18/9/13

ज्ञापांकः–6एस0एस0(6)29/2013 2242 /पटना–15, दिनांक– 18/9/ /2013

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय बजट शाखा/ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा एवं योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव। 18/9/13